संख्याः— 312 / III(2)/09—06(मु0मं0घो0)/08 (14)

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र पावती सं0 836
फाईल सं0 ई0सी0
दिनांक 23-6-2009

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर—1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः— वित्तीय वर्ष 2008—09 में 05 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये 05(पांच) कार्यो के लागत कुल रूपये 619.00 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 619.00 लाख (रूपये छः करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम—5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम—6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008—09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय और कार्य के शासनादेश संख्याः—4042/III(2)/08—24(बजट)/2008 दिनांक 11—12—08 के मानक से आच्छादन की पुष्टि सुनिश्चित कर ली जायेगी।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू—गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

(15)

11. यदि उक्त में से कोई कार्य विभागीय या अन्य विभागीय बजट से आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत हो कर कराया जा चुका है या जाना है तब उक्त सीमा तक उक्त कार्य की उक्त लागत संशोधित कराकर चालू कार्य से भविष्य में शेष धनराशि का ही आहरण किया जायेगा।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

18. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

19. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 1163/XXVII(2)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– 05 कार्यो की सूची।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः– 312 (1)/III(2)/09–06(मु0मं0घो0)/08, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाँऊ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

Photocopy Attested
सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

कार्यालय
पत्रांक:- 1652 /12सी. दिनांक 28/6/09
प्रतिलिपि स0अ0 I को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
प्रतिलिपि JEC1 को,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर
28/6/09

37GHOOSNA GO

शासनादेश संख्या– 312 / III(2)/09–06(मु0मं0घो0)/08, दिनांक 02 मार्च, 2009 का संलग्नक।

76

(धनराशि रुपये लाख में)

क0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3			6
1–	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में माणदा से स्वीर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	04.00	140.00	140.00	0.10
2–	जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में विरोगी से क्रिसवाल गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	03.00	105.00	105.00	0.10
3–	जनपद टिहरी गढवाल में बिनकखाल– भिगुन मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण एवं सुधार कार्य	04.00	80.00	80.00	0.10
4–	जनपद उत्तरकाशी में देहली यमुनोत्री मोटर मार्ग से विसाटगांव–जान्दनू नौगांव–गोडार मोटर मार्ग निर्माण।	05.00	183.75	183.75	0.10
5–	जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार।	03.00	110.25	110.25	0.10
	योगः–		619.00	619.00	0.50

(रुपये पचास हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)